झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–08 / 2020

गिरीश मंडल .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता की ओर से : श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री रवि प्रकाश, विशेष लो0 अभि0।

02 / 10.01.2020 श्री निरंजन कुमार, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री रवि प्रकाश, विशेष लोक अभियोजक, राज्य की ओर से, को सुना।

याचिकाकर्त्ता देवघर (साइबर) थाना काण्ड संख्या 69 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता के कब्जे से कई मोबाइल बरामद किए गए थे, जिन्हें साइबर अपराध में शामिल होने का संदेह था।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता के विरूद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 08.11.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के आलोक में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) के जमानत बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर एवं विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देवघर के संतुष्टि पर, देवघर (साइबर) थाना काण्ड संख्या 69 वर्ष 2019 में छोड़ने का आदेश दिया जाता है, बशर्ते कि वह प्रत्येक तिथि को विद्वान विचारण न्यायालय में विचारण की समाप्ति तक उपस्थित रहेगा एवं एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होगा।

ह0

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)